राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 171वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 171वीं बैठक दिनांक 12/04/2024 को अपरान्ह 02:00 बजे से आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा उपस्थित प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 170वीं बैठक दिनांक 04/04/2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 170वीं बैठक दिनांक 04/04/2024 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स बालाजी एसोसिएट्स (प्रो.– श्री यज्ञदत्त शर्मा), ग्राम–कोदवा, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2264)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 413523 एवं 10/01/2023 ई.सी. – 457249 एवं 02/01/2024	जारी टी.ओ.आर. – क्रमांक 314, दिनांक 03/05/2023 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित)
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.88 हेक्टेयर एवं 96,720 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	342 (पार्ट), 345/1 एवं 345/2	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 342 (पार्ट), 345/1 एवं 345/2 मेसर्स बालाजी एसोसिएट्स, प्रो.– श्री यज्ञदत्त शर्मा के नाम पर है।	संलग्न है।
बैठक का विवरण	514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यज्ञदत्त शर्मा, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी. एण्ड एम. सॉल्यूशन की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए।

पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत कोदवा दिनांक 22/09/2021	उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 03/01/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 05/01/2023	6 खदानें, क्षेत्रफल 17.395 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 05/01/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई. का विवरण	एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स बालाजी एसोसिएट्स, प्रो.– श्री यज्ञदत्त शर्मा, दिनांक – 21/10/2022 अवधि – 1 वर्ष	एल.ओ.आई. के वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल दुर्ग द्वारा जारी दिनांक 17/10/2023	मोहरेंगा वन क्षेत्र से दूरी – 17.2 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – कोदवा 960 मीटर स्कूल ग्राम – कोदवा 800 मीटर अस्पताल – बेमेतरा 16 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 12 कि.मी. राज्यमार्ग – 200 मीटर	शिवनाथ नदी – 4.6 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स–** जियोलॉजिकल रिजर्व 21,76,109 टन माईनेबल रिजर्व 14,95,338 टन रिकव्हरेबल रिजर्व 13,45,804 टन प्रस्तावित गहराई 20 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 16 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन** प्रथम 74,100 टन द्वितीय 78,000 टन तृतीय 85,020 टन चतुर्थ 93,600 टन पंचम 96,720 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 8,705 वर्गमीटर	उत्खनित – नही
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 0.5 मीटर मात्रा – 17,310 घनमीटर	8,705 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। शेष 8,605 घनमीटर – स्वयं की समीपस्थ भूमि (खसरा क्रमांक 341,

		क्षेत्रफल 0.87 हेक्टेयर) में 1 मीटर की ऊंचाई तक भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,742 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 12,63,948 रूपये
ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण	**मॉनिटरिंग –** मार्च 2023 से मई 2023 गुणवत्ता मापन स्थलः – परिवेशीय वायु – 12 भू–जल – 12 सतही जल – 2 ध्वनि स्तर – 12 मिट्टी के नमूने – 12 $PM_{2.5}$ – 31.6 से 45.9 $\mu g/m^3$ PM_{10} – 49.8 से 67.94 $\mu g/m^3$ SO_2 – 10.81 से 14.86 $\mu g/m^3$ NO_2 – 14.18 से 20.74 $\mu g/m^3$ Noise level - dB (A) Day L_{eq} – 46.09 से 59.54 Night L_{eq} – 35.31 से 48.43	गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर है। पंचनामा एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही फ्लोरा एवं फौना की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
पी.सी.यू. की गणना	**राज्यमार्ग हेतु –** वर्तमान में 800 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.13 परियोजना उपरांत 998 पी.सी.यू./दिन व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.16	**राज्यमार्ग हेतु –** लोड कैरिंग क्षमता "A" (Excellent) श्रेणी का है।
जी.एल.सी. की गणना	PM_{10} का अधिकतम मान 63.66 $\mu g/m^3$	निर्धारित भारतीय मानक सीमा से कम है।
लोक सुनवाई	दिनांक 04/10/2023 समय – प्रातः 11:00 बजे स्थान – बेमेतरा–दुर्ग राजकीय मार्ग पर स्थित खसरा क्रमांक 341, रकबा 0.87 हेक्टेयर, ग्राम–कोदवा, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा	लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 28/11/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।
लोक सुनवाई	**मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–** 1. ब्लास्टिंग से घर में कंपन होता है। प्रदूषण होता है। आपत्ति है कि ब्लास्टिंग होता है। 2. लोकसुनवाई के दौरान उपस्थित जनसामान्य/ग्रामीणों द्वारा खदान का समर्थन करते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु कहा गया। ग्रामीणों द्वारा	**निराकरण की दिशा में कथन निम्न है:–** 1. ब्लास्टिंग नियंत्रित तरीके से किया जाएगा। अनुभवी कांन्ट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाएगा। ब्लास्टिंग दिन में एक बार ही 2–3 बजे के बीच में किया जाएगा।

	खदान के प्रति किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई गई।	2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोजगार हेतु ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है।
सी.ई.एम.पी.	क्लस्टर में कुल 7 खदानें प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 46,38,610 रूपये	परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता: प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि–10,30,798 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोकसुनवाई के दौरान दिये गये समस्त आश्वासन पूर्ण करने, सी.ई.एम.पी. के तहत् तय राशि का पर्यावरण हित में उपयोग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग व साईलेंट ब्लास्टिंग, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, ग्राम वासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित करने, एम.सी.आर. के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन करने, ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, समिति द्वारा निहीत शर्तो के पालन करने, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत एवं वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत करने बाबत्, ई.सी., सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, एन.जी.टी. आदि द्वारा सामान्य कारण की लागू शर्तो का पालन करने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. We will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Comon Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations. 4. We will Comply the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-1A.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activites on Habitations. Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area. 5. We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred.

		Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification 2006 as amended from time to time.
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 22.275 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
128	2%	2.56	Following activities at Nearby, **Village- Kodwa**	
			Pavitra van nirman	9.78
			Total	**9.78**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् वृक्षारोपण (आम, नीम, पीपल, करंज, कदम्ब, आंवला, अमलतास, बरगद एवं जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 38,000, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,44,000 रूपये एवं अन्य खर्च हेतु राशि 10,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,45,750 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,32,760 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कोदवा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1(पार्ट), क्षेत्रफल 0.20 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म ज्ञापन क्रमांक 4326/खनि–02/पर्या एस–1/नक्र 08/2016 नवा रायपुर, दिनांक 26/06/2023 के परिपेक्ष्य में गठित तीन सदस्यीय समिति यथा (1) श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छ.ग. रायपुर, (2) श्रीमती अर्चना ठाकुर, सहायक खनिज अधिकारी, जिला–बेमेतरा एवं (3) श्री सी.के. राही, नायब तहसीलदार, बेमेतरा द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में श्री राकेश वर्मा (खनिज निरीक्षक, जिला–बेमेतरा), ग्राम पटवारी एवं परियोजना प्रस्तावक श्री यज्ञदत्त शर्मा भी उपस्थित रहे। इस बाबत् पंचनामा की प्रति प्रस्तुत की गई है। निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

प्रस्तावित डोलोमाइट खनिज उत्खनन क्षमता 96720 टन प्रति वर्ष के टर्म ऑफ रेफ्रेन्स (टोर) हेतु प्रस्तुत आवेदन के मूल्यांकन के समय दस्तावेज/गूगल मैप के अवलोकन के समय समिति के समक्ष यह संज्ञान में आयी कि आवेदित क्षेत्र के चारों ओर के 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कुछ भाग उत्खनित है जिसकी पुष्टि संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा कराया जाकर कार्यवाही करना उचित होगा।

इस सन्दर्भ में जिलाध्यक्ष द्वारा गठित समिति जिसमें उपरोक्त अनुसार सदस्य शामिल होकर मौका मुआयना किया गया विवरण निम्नानुसार है:–

- आवेदित क्षेत्र से लगे हुए अन्य खदान/क्रशर जो इसी क्लस्टर क्षेत्र के अंतर्गत है के अनुपयोगी खनिजो का ढेर इसके क्षेत्र के कुछ भाग में रखा गया है और इसके क्षेत्र में खनिज डोलोमाईट का दृश्यांश (Outcrop) भी है जिसके कारण गूगल नक्शा में उत्खनन किया हुआ प्रतीत होता है परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस प्रकार 7.5 मीटर चौड़ी पट्टी/सेफ्टी जोन का अवलोकन में अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया है।

- निरीक्षण के समय आवेदित क्षेत्र के चारों ओर 16 सीमास्तंभ का जी.पी.एस. रीडिंग लिया गया एवं अनुमोदित माईनिंग प्लान से मिलान किया गया जो सही पाया गया।

- निष्कर्ष प्रस्तावित क्षेत्र के 7.5 मीटर सेफ्टी जोन में उत्खनन नहीं पाया जाने के कारण यह प्रकरण अवैध उत्खनन की श्रेणी में नहीं आता है।

4. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बालाजी एसोसिएट्स (प्रो.– श्री यज्ञदत्त शर्मा) को ग्राम–कोदवा, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा के खसरा क्रमांक 342 (पार्ट), 345/1 एवं 345/2 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.88 हेक्टेयर, क्षमता – 96,720 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बालाजी एसोसिएट्स (प्रो.– श्री यज्ञदत्त शर्मा) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गयाः–

   i. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) से ही कराया जाए।

   ii. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   vi. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई. ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   vii. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

viii. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स बड़गांव सेण्ड माईन (1) (प्रो.– श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल), ग्राम–बड़गांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2989)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 453575 एवं 02/01/2024	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	5 हेक्टेयर एवं 52,500 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 882 एवं महानदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अजय सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बड़गांव दिनांक 21/04/2016	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 26/12/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/सीमांकित	दिनांक 28/11/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 28/11/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 28/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई.धारक–श्री विष्णुप्रसाद अग्रवाल	संलग्न है।

	दिनांक – 06/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद द्वारा जारी दिनांक 24/05/2018	वन क्षेत्र से दूरी – 10 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–बड़गांव 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम–बड़गांव 2.5 कि.मी अस्पताल–महासमुंद 13.55 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–6.15 कि.मी. राज्यमार्ग–19.2 कि.मी.	नहर–660 मीटर तालाब–1.6 कि.मी. नाला–660 मीटर एनीकट–5.5 कि.मी. रोड पुल–5.8 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 1,410 मीटर, न्यूनतम 1,306 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम – 249 मीटर, न्यूनतम 236 **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 212 मीटर, न्यूनतम 200 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 526 मीटर, न्यूनतम 460 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3.85 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.75 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–52,500 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या–5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.85 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर गुणा 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 10/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	संलग्न है।
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 883, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,36,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.एम.पी. के तहत खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुँच मार्ग के किनारे वृक्षारोपण,	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:–

	फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। 2. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। 3. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.88	2%	0.69	Following activities at Nearby, **Village- Badgaon**	
			Plantation at Village pond	0.87
			Total	**0.87**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 40 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 5,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 31,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 56,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बड़गांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1057, रकबा 0.36 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

4. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.75 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बड़गांव सेण्ड माईन (1) (प्रो.– श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल) को ग्राम–बड़गांव, तहसील व जिला–महासमुंद, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 882, कुल लीज क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

4. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बड़गांव सेण्ड माईन (1) (प्रो.– श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गयाः–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

iv. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. मेसर्स बड़गांव सेण्ड माईन (2), (प्रो.– श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल), ग्राम–बड़गांव, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2990)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी.– 453569 एवं 02/01/2024	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.5 हेक्टेयर एवं 54,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 3790 एवं महानदी	
बैठक का विवरण	514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 08/02/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री अजय सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बड़गांव दिनांक 24/01/2019	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 21/12/2023	
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 28/11/2023	
500 मीटर	दिनांक 28/11/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 28/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल दिनांक – 06/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल महासमुंद द्वारा जारी दिनांक 20/02/2019	वन क्षेत्र से दूरी – 15 कि.मी.

महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–बड़गांव 1.5 कि.मी. एवं बैनीडीह 1 कि.मी. स्कूल ग्राम–बड़गांव 1.8 कि.मी अस्पताल–आरंग 5.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–4 कि.मी. राज्यमार्ग–17.4 कि.मी.	नहर–700 मीटर तालाब–1.25 कि.मी. नाला–960 मीटर एनीकट–6.8 कि.मी. रोड पुल–5.1 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 1,210 मीटर, न्यूनतम 1,180 मीटर **खनन स्थल की लंबाई–** अधिकतम – 226 मीटर, न्यूनतम 225 **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 199 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 141 मीटर, न्यूनतम 128 मीटर	
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–54,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या–5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर गुणा 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 10/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	
वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 3816, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,34,500 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.एम.पी. के तहत खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुँच मार्ग के किनारे वृक्षारोपण, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी

	तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। 2. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। 3. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.5 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
32.19	2%	0.64	Following activities at Nearby, **Village- Badgaon**	
			Plantation at Village pond	0.87
			Total	**0.87**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 40 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 5,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 31,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 56,000

रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बड़गांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 4114 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

4. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स बड़गांव सेण्ड माईन (2) (प्रो.– श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल) को ग्राम–बड़गांव, तहसील व जिला–महासमुंद, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 3790, कुल लीज क्षेत्रफल–4.5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

4. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बड़गांव सेण्ड माईन (2) (प्रो.– श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गयाः–

   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

   iv. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. मेसर्स अग्रसेन माईन्स एण्ड मिनरल्स (पार्टनर–श्री अशोक अग्रवाल), ग्राम–जोतपुर, तहसील–बरमकेला, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2582)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 436742/ 2023, दिनांक 15/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोतपुर, तहसील–बरमकेला, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 86/2, 87/3च, 87/3छ, 87/3ज, 87/3झ, 87/3ञ, 93/2ख, 93/2ग, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 97/2, 97/3, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 103/3 एवं 103/4, क्षेत्रफल–4.592 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,20,007.8 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 26/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 26/09/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 86/2, 87/3च, 87/3छ, 87/3ज, 87/3झ, 87/3ञ, 87/3ख, 87/ग, 87/2, 87/3, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 102/2, 103/1, 103/2, 103/3 एवं 103/4, कुल क्षेत्रफल–4.592 हेक्टेयर, क्षमता–1,20,007.80 टन प्रतिवर्ष हेतु

पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायगढ़ द्वारा दिनांक 27/09/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से लीज अवधि तक वैध है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 260/ख.लि.–2/2023, सारंगढ़–बिलाईगढ़, दिनांक 05/10/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2016–17	1,20,000
2017–18	1,20,000
2018–19	1,20,000
2019–20	1,20,000
2020–21	1,20,000
2021–22	1,20,000
2022–23	1,20,000

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत बोंदा का दिनांक 01/10/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन इन क्वारी प्लान अलॉग विथ क्वॉरी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ज्वॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेट ऑफ जियोलॉजी एण्ड माईनिंग नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 4455/माईनिंग–2/क्यू. पी/एफ.एन.24/2015 नवा रायपुर, दिनांक 18/10/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 259/ख.लि.–2/2023 सारंगढ़–बिलाईगढ़, दिनांक 05/10/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 9.061 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 261/ख.लि. –2/2023 सारंगढ़–बिलाईगढ़, दिनांक 05/10/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 86/2, 93/2ख, 93/2ग, 95/3, 97/2, 97/3 श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल, 87/3च, 87/3छ, 87/3ज, 87/3झ, 87/3ञ, 94/1, 94/2, 94/3 श्री नीरज, 95/1, 95/2, 95/4, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 103/3 एवं 103/4 श्री अशोक कुमार के नाम पर है। समिति का मत है कि भूमि संबंधी दस्तावेज (बी–1, पी–2) एवं सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **लीज डीड संबंधी विवरण** – लीज मेसर्स अग्रसेन माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर–श्री अशोक अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/12/2012 से 03/12/2042 तक की अवधि हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./3680/2010 रायगढ़, दिनांक 04/10/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कटंगपाली 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–कटंगपाली 1 कि.मी. एवं अस्पताल 8.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। महानदी 2.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,052 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 1.248 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,047.5 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 26 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है एवं इसका क्षेत्रफल 1,500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,20,007.08
द्वितीय	1,20,007.08
तृतीय	1,20,007.08
चतुर्थ	1,20,007.08
पंचम	1,20,007.08
षष्टम	1,20,007.08
सप्तम	1,20,007.08
अष्टम	1,20,007.08
नवम	1,20,007.08
दशम	1,20,007.08

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,809 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल को अवलोकन करने पर पाया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुछ क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान का डी.पी.आर. एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 259/ख.लि.–2/2023 सारंगढ़–बिलाईगढ़, दिनांक 05/10/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 9.061 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–जोतपुर) का रकबा 4.592 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–जोतपुर) को मिलाकर कुल रकबा 13.653 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit the information along with photographs mentioning the numbering of the plants to be planted and the name of the plant, along with the compliance report.

xi. Project Proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area submit restoration plan and do remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of restoration plan & complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. मेसर्स ए.पी.एल. अपोलो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–रिंगनी एवं केसड़ा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2811)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी1/438749/2023, दिनांक 01/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–रिंगनी एवं केसड़ा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार, कुल क्षेत्रफल–58.7 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ कोल्ड रोलिंग मिल (Thickness Reduction Process) क्षमता–28,000 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 54 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 491वीं बैठक दिनांक 12/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 11/10/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संतोष कुमार रॉय, फेक्ट्री मेनेजर उपस्थित हुए। परियोजना उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के आवेदित प्रकरण में कुल क्षेत्रफल 58.7 हेक्टेयर का उल्लेख है जबकि प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कुल क्षेत्रफल 237 हेक्टेयर तथा अनुमोदित विकास अनुज्ञा में कुल क्षेत्रफल 96.28 हेक्टेयर का उल्लेख है। साथ ही पूर्व में जारी जल एवं वायु संचालन सम्मति में क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में समिति का मत है कि ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में त्रुटि सुधार किया जाना संभव नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक को पुनः ऑनलाईन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/04/2024 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार समयावधि समाप्त होने के कारण प्रेषित ऑनलाईन आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त नहीं करते हुये ऑनलाईन आवेदन में क्षेत्रफल में हुये त्रुटि को सुधार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को संज्ञान में लेते हुये **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** आवेदन को डि–लिस्ट करने का निर्णय लिया गया।

In view of foregoing paragraph, we are of the view that there is a typographical error in form 1 submitted at the Parivesh Portal. Therefore, proposal is being returned to Project Proponent in the present form and directed to resubmit the form 1 for rectifying the land details.

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स अमरपुर क्रेशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अशोक कुमार जायसवाल), ग्राम–अमरपुर, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1869)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/244352/2021, दिनांक 13/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अमरपुर, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 04, कुल क्षेत्रफल–1.85 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–18,369 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक कुमार जायसवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 04, कुल क्षेत्रफल–1.85 हेक्टेयर, क्षमता– 4,566 घनमीटर (11,871.6 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई है।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परंतु प्रकरण क्षमता विस्तार का है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1776/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/12/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	4,465
2018	656
2019	2,966
2020	4,550
2021	3,710

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमरपुर का दिनांक 15/10/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1591/खनिज/खलि.2/2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1777/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1778/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री अशोक कुमार जायसवाल के नाम पर है। लीज डीड की अवधि 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/03/2011 से 04/03/2016 की अवधि तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 25 वर्षों की, दिनांक 05/03/2016 से 04/03/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./1682 बैकुण्ठपुर, दिनांक 06/08/2010 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अमरपुर 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–अमरपुर 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12 कि.मी. दूर है। धनुहारी नाला 250 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,75,959 टन, माईनेबल रिजर्व 1,77,372 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,68,503 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,950 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में

ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,348 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	17,667	षष्टम	17,667
द्वितीय	17,667	सप्तम	17,667
तृतीय	17,667	अष्टम	17,667
चर्तुथ	17,667	नवम	17,667
पंचम	17,667	दशम	18,369

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,245 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Approch road **Village-Amarpur**	
			Pavitra Van Nirman	2.24
			Total	**2.24**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 700 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 77,300 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,46,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत ग्राम पंचायत अमरपुर अंतर्गत

शासकीय भूमि नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत अमरपुर के पहुंच मार्गों में दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार:–
   i. Greenbelt development has not been carried out.
   ii. Only few demarcation boundary pillars are available and no fencing is observed around the lease area.
   iii. Six monthly compliance report has not been submitted to the Regional Office of MoEF&CC regularly.
   iv. Public Liability Insurance has not been obtained under Public Liability Insurance Act, 1991.
   v. During the visit, it has been observed that apart from the old pit, excavation of soil and mining has been carried out in an area demarcated in the revised quarry plan for the year 2022-2023 to 2031-2032.
   vi. It appears that paper advertisement regarding grant of EC have been made in the Hindi daily viz. Danik Bhaskar (on 24/4/2022) and Haribhumi (22/4/2022), i.e. after the lapse of EC validity period, which is in contravention to the condition No.25 of the EC.
   vii. Waste material / boulders are is being stacked in the adjoining area of the public Road.

समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु (आंवला, पीपल, बरगद, नीम, आम, अर्जुन एवं बेल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,185 नग पौधों के लिए राशि 11,850 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 8,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,07,850 रूपये तथा आगामी चार वर्षों में कुल राशि 2,08,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 31/08/2023 को प्रतिवेदन एवं जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 490वीं बैठक दिनांक 27/09/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत की गई है, जो अपूर्ण है। अतः समिति का मत है कि सभी बिन्दुओं की पूर्ण कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत की गई है, जो अपूर्ण है। अतः सभी बिन्दुओं की पूर्ण कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/01/2024 को कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसारः–

   i. At conceptual stage, about 1.85 Ha of the area has been developed as green-belt. About 1850 trees are proposed to be planted in this area.
   ii. Fencing work has been done as far as possible and would be 100% completed in due course of time.

iii. Six monthly compliance report is being submitted along with this action taken report and all upcoming compliance report would be submitted in due time regularly.

iv. We do accept sincere apology for not having Public Liability Insurance and the process is being started and its paper would be submitted along with next report.

v. Compliance noted and now due care has been taken to not to do excavation and area quarry in the mentioned quarry area plan.

vi. Yes due to administrative reasons of the management, there has been a delay in the publication. We do accept sincere apology for the delay in publishing.

vii. Sincere apology for the same, now due care has been taken to remove the stack in the adjoining area.

2. समिति का मत है कि अपूर्ण कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण किया जाए तथा सी.ई. आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है। इस आशय के शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1777/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–अमरपुर) का क्षेत्रफल 1.85 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. अपूर्ण कार्य आगामी 6 माह में पूर्ण किया जाए तथा सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित

त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है। इस आशय के शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स अमरपुर क्रेशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अशोक कुमार जायसवाल) को ग्राम–अमरपुर, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 04 में साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.85 हेक्टेयर, क्षमता 18,369 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स अमरपुर क्रेशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अशोक कुमार जायसवाल) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों के संबंध में अपूर्ण कार्य को आगामी 6 माह में पूर्ण किया जाए तथा सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए। इस आशय के

शपथ पत्र (Notarized undertaking) को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स पतेरापाली ऑर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री बलवीर सिंह बैन्स), ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासंमुद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2642)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /440723 /2023, दिनांक 18/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासंमुद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 28, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,373.6 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 494वीं बैठक दिनांक 27/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बलवीर सिंह बैन्स, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 28, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–20,373.6 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक

16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् 15/01/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 260 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 282/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 13/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 30/06/2017	निरंक
01/07/2017 से 31/12/2017	
01/01/2018 से 30/06/2018	
01/07/2018 से 31/12/2018	
01/01/2019 से 30/06/2019	
01/07/2019 से 31/12/2019	24
01/01/2020 से 30/06/2020	90
01/07/2020 से 31/12/2020	50
01/01/2021 से 30/06/2021	60
01/07/2021 से 30/09/2021	30
01/10/2021 से 31/03/2022	निरंक
01/04/2022 से 30/09/2022	850

समिति का मत है कि सितम्बर 2022 के उपरांत किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत पतेरापाली का दिनांक 22/03/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो प्रभारी खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1208/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 30/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 282/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 13/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 282/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 13/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री बलवीर सिंह बैस के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात दिनांक 19/07/2006 से 18/07/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज़ डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/07/2016 से 18/07/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की जाती है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/3066 महासमुंद, दिनांक 18/08/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पतेरापाली 700 मीटर, स्कूल ग्राम–पतेरापाली 1 कि.मी. एवं अस्पताल खरियार रोड़ 8.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.65 कि.मी. दूर है। जोंक नदी 5.6 कि.मी., मौसमी नाला 1.4 कि.मी., नहर 4 कि.मी. एवं तालाब 560 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 3,91,232 टन (1,50,474 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 2,10,705 टन (81,040 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,89,634 टन (72,936 घनमीटर), था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 3,88,043 टन (1,49,247 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 2,07,515 टन (79,813 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,86,764 टन (71,832 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा

पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,995 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। हि–लॉक की औसत ऊचाई 9.5 मीटर एवं भू–तल से उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा 1,595.5 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,050.24 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 545.26 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को समीपस्थ सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 71/1, 71/9 एवं 102/7, क्षेत्रफल 0.35 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2023–24	20,373.60
2024–25	20,373.60
2025–26	20,373.60
2026–27	20,373.60

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 591 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 260 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 331 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के बाउण्ड्री में (331 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	33,100	–	–	–	–
	फेंसिंग हेतु राशि	50,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	29,550	29,550	29,550	29,550	29,550
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
अन्य कार्य हेतु		5,000	–	–	–	–
कुल राशि = 12,35,850		**3,17,650**	**2,29,550**	**2,29,550**	**2,29,550**	**2,29,550**

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के 262 वर्गमीटर क्षेत्र में चौड़ाई कम होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
10.11	2%	0.20	Following activities at Nearby Village Pond, **Village- Paterapali**	
			Plantation around village pond	0.50
			Total	**0.50**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम की विभिन्न प्रजातियों, कटहल एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,750 रूपये, खाद के लिए राशि 1,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 6,500 रूपये, अन्य कार्यो हेतु 5,000 इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 31,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पतेरापाली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 681, क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने, शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भंडारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित मापदण्डो के अनुसार डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के द्वारा ही ब्लास्टिंग कराया जाएगा।

20. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा। हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जावेंगे : –

    i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत में नहीं किया जावेगा।

    ii. खदान कार्यालय से उत्पनन घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

    iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतो में छोड़ा जावेगा।

    iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यक्तानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

    v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

    vi. यथा संभव तालाब के चारो ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

    प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 560 मीटर तथा नहर 4 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

27. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1 कि.मी., अस्पताल 8.9 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 700 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाऐगें–

i. खदान के माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत खर्च किया जावेगा।

vii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

viii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए डी.जी.एम.एस. से रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपना कर कम किया जाएगा, जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित का प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. सितम्बर 2022 के उपरांत किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/01/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1751/क/खनि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 13/12/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
अक्टूबर, 2022	निरंक
नवम्बर, 2022	
दिसम्बर, 2022	
15 जनवरी, 2023	
नोट 15 जनवरी, 2023 को पर्यावरण सम्मति समाप्त होने उपरांत पट्टेदार द्वारा खदान से उत्पादन नहीं किया जा रहा है।	

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 282/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 13/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–पतेरापाली) का क्षेत्रफल 1.3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पतेरापाली ऑर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री बलवीर सिंह बैन्स) को ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बागबाहरा, जिला–महासंमुद के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 28 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–20,373 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स पतेरापाली ऑर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री बलवीर सिंह बैन्स) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

8. मेसर्स मधुर आयरन एण्ड स्टील (I) प्राईवेट लिमिटेड, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2584)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 436897/2023, दिनांक 16/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् प्लॉट नं. 21/ए, लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई, जिला–दुर्ग, कुल क्षेत्रफल–1.21 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन कम एक्सपांशन ऑफ रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 54,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 9.21 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 22/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एच.एल.व्यास, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से फेब्रिकेशन क्षमता–6,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 03/04/2019 को जारी की गई है, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 02/04/2025 तक है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है

कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ सिटी चरोदा 6.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई 4.16 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 34.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.45 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लीज डीड का विवरण** – पूर्व में लीज डीड मेसर्स मधुर आयरन एण्ड स्टील (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड यूनिट (2) (डायरेक्टर–श्री सुनील कुमार अग्रवाल) के नाम पर थी।

कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग के पत्र दिनांक 31/03/2018 के अनुसार भूखण्ड क्र. 21/ए, कुल रकबा–3 एकड़ में मेसर्स मधुर आयरन एण्ड स्टील (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड यूनिट (2) (डायरेक्टर–श्री सुनील कुमार अग्रवाल), हल्का औद्योगिक क्षेत्र भिलाई पर स्थापित उद्योग को मेसर्स मधुर आयरन एण्ड स्टील (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर–श्री विरेन्द्र कुमार अग्रवाल) के नाम पर हस्तांतरित की गई।

तत्पश्चात् दिनांक 05/04/2018 को लीज डीड में संशोधन करते हुये, लीज डीड मेसर्स मधुर आयरन एण्ड स्टील (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर–श्री विरेन्द्र कुमार अग्रवाल) के नाम पर जारी किया गया। जारी लीज डीड, दिनांक 30/03/2013 से दिनांक 20/11/2071 तक की अवधि हेतु वैध है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Land use breakup	Area (m^2)	Area (%)
1.	Building Sheds	3,428	42.32
2.	Road / Paved Area	630	7.78
3.	Green Belt Area	4,858	40.00
4.	Open Area	802	9.901
5.	**Total Area**	**12,145**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल –**

S.No	Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Source
1.	Billets/Ingots	30,500	55,000	Open Market

6. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –**

Production Capacity	
Existing hot charged Rolling Mill Capacity	30,000 TPA
After expantion hot charged Rolling Mill Capacity	54,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी (वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत प्रदूषण भार की गणना की जानकारी सहित) फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत रोलिंग मिल से मिल स्केल–400 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग–600 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाएगा। रॉ–मटेरियल कोल एवं अपशिष्ट के रूप में कोल बर्निंग से जनित ऐश की मात्रा की जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 15 घनमीटर प्रतिदिन का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 21 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण व डस्ट स्प्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से दिनांक 03/10/2025 को अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित जल को हरित पट्टिका के विकास एवं डस्ट स्प्रेशन हेतु उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु आवश्यक कुल विद्युत मात्रा एवं स्त्रोत संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। साथ ही समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट एवं चिमनी की ऊँचाई के संबंध में जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.4858 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,210 नग पौधों का वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 अक्टूबर 2023 से 15 जनवरी 2024 के मध्य किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई को औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने बाबत् उद्योग विभाग से जारी अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/11/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/01/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

1. समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/जिव्याउकेदुर्ग/एम.एस.एम.ई./2023/64 दुर्ग, दिनांक 03/01/2024 द्वारा लाईट इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिलाई को औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किये जाने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

v. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year (CA certified report).

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

x. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xi. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance

cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xvi. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी किया जाए।

9. मेसर्स खजुरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्रीमती जमुना बाई पांडे), ग्राम–खजुरी, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2179)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 405461/2022, दिनांक 05/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–खजुरी, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 247/5, 247/6 एवं 246/16, कुल क्षेत्रफल – 0.951 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–589 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती जमुना बाई पांडे, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 247/5, 247/6 एवं 246/16, कुल क्षेत्रफल–0.951 हेक्टेयर, क्षमता–1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 04/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 03/01/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 951/खलि.–2 उ.प./2022 मुंगेली, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	मिट्टी (घनमीटर)
04/01/2017 से 31/03/2017 तक	–
2017–18	927.75
2018–19	1,500
2019–20	567.9
2020–21	1,366.8

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सांवतपुर का दिनांक 09/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्र. 1372/2/खनि/मिट्टी उ.यो./2022 बिलासपुर, दिनांक 08/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370/खलि–03/2021 मुंगेली, दिनांक

26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर सजातीय खदानों की संख्या निरंक है तथा 500 मीटर के भीतर 1 रेत खदान, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370/खनि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, नदी, नाला, एनीकट, तालाब, रेल लाईन एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है। नदी 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।

6. **800 मीटर की परिधि में स्थित** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 951/खनि–02/2022 मुंगेली, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार 800 मीटर की परिधि में कोई भी आम का बगीचा व गांव की आबादी एवं आवेदित स्थल से नजदीकी चिमनी भट्ठा की दूरी 1,000 मीटर से अधिक है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती जमुना बाई के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/10/2012 से 29/10/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/10/2017 से 29/10/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खजुरी 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–खजुरी 2 कि.मी. एवं अस्पताल सरगांव 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 25 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 19,020 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 6,200 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,890 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 384 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,000 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की

आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	620	6,20,000	षष्टम	620	6,20,000
द्वितीय	620	6,20,000	सप्तम	620	6,20,000
तृतीय	620	6,20,000	अष्ठम	620	6,20,000
चर्तुथ	620	6,20,000	नवम	620	6,20,000
पंचम	620	6,20,000	दशम	620	6,20,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 194 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र की सीमा से शिवनाथ नदी 50 मीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण लीज क्षेत्र के भीतर 50 मीटर (अर्थात् लीज क्षेत्र की सीमा से नदी के बीच की कुल दूरी 100 मीटर) की दूरी तक कुल 4,650 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at, **Village-Khajuri**	
			Plantation with fencing around village pond	0.50
			Total	**0.50**

17. समिति का मत है कि तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त भूमि के खसरे एवं रकबा का उल्लेख करते हुए संबंधित ग्राम का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 01/04/2021 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।
6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमाकंन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में स्थित चिमनी किल्न को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के तहत् जिग–जैग पद्धति में परिवर्तन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) सहित प्रस्तुत किया जाना जाए। साथ ही उक्त भूमि के खसरे एवं रकबा का उल्लेख करते हुए संबंधित ग्राम का सहमति पत्र प्रस्तुत किया किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/01/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 4123, दिनांक 05/12/2023 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त शर्तों का पालन किया जाना बताया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 405/खलि. –2 उ.प./2023 मुंगेली, दिनांक 10/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 01/04/2021 से किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	मिट्टी (घनमीटर)
01/04/2021 से 31/03/2022	611
01/04/2022 से 03/01/2023	727

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मुंगेली, वनमण्डल मुंगेली के ज्ञापन क्र./मा.चि. /4193/2023/मुंगेली, दिनांक 22/09/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 58.5 कि.मी. की दूरी पर है।

4. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.56 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 194 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,880 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में

कुल राशि 83,880 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 1,96,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसैशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमाकंन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में स्थित चिमनी किल्न को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के तहत् जिग–जैग पद्धति में परिवर्तन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at, **Village-Khajuri**	
			Plantation with fencing around village pond	2.82
			Total	**2.82**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (नीम, आम, अर्जुन, सीसम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 100 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,200 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 83,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,99,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सांवतपुर के सहमति उपरांत आश्रित ग्राम खजुरी के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 62, क्षेत्रफल 0.6 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1370/खनि–03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर सजातीय खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–खजुरी) का रकबा 0.951 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स खजुरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्रीमती जमुना बाई पांडे), ग्राम–खजुरी, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली के खसरा 247/5, 247/6 एवं 246/16 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.951

हेक्टेयर, क्षमता--589 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स खजुरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्रीमती जमुना बाई पांडे) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गयाः–
   i. लीज जारी होने के पश्चात् 1 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   ii. सी.ई.आर. के तहत् एवं लीज क्षेत्र के 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
   v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

10. मेसर्स पेनारी क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री गजरूप सिंह), ग्राम–पेनारी, तहसील–खड़गवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2458)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429674/ 2023, दिनांक 24/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पेनारी, तहसील–खड़गवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर स्थित खसरा क्रमांक 1067, कुल क्षेत्रफल–0.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,230.41 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामावतार सिंगरौल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1067, कुल क्षेत्रफल–0.4 हेक्टेयर, क्षमता–1,557 घनमीटर (4,048 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/03/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 13/खनिज/उ.यो.अनु./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017–18	निरंक
2018–19	निरंक
2019–20	निरंक
2020–21	निरंक
2021–22	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर हेतु ग्राम पंचायत पेनारी का दिनांक 07/12/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्र. 813/खनिज/उ.या.अ./2023 कोरबा, दिनांक 24/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 15/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 15/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, अस्पताल, रेल लाईन एवं जलआपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री गजरूप सिंह के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/06/2011 से 03/06/2041 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री गजरूप सिंह, श्री कृष्ण पाल, श्री हिरौंदिया एवं श्रीमती बुधन के नाम पर है। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में भू–स्वमियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./207/बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/09/2010 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 500 मीटर दूर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पेनारी 2.5 कि.मी., एवं अस्पताल मनेन्द्रगढ 31 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 650 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 62,205 टन एवं माईनेबल रिजर्व 11,739 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,970 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। जैक हैमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,347.8
द्वितीय	2,347.8
तृतीय	2,347.8
चतुर्थ	2,347.8
पंचम	2,347.8

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 102 नग वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at, **Village- Penari**	

			Pavitra Van Nirman	2.988
			Total	**2.988**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, जामुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,03,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत पैनारी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1080, क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् प्रस्तावित भूमि खसरा क्रमांक 1080 का भू–स्वामी संबंधी दस्तावेज (बी–1/पी–2) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन के संबंध में भू–स्वमियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित एवं प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के अन्तर्गत किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा क्रमांक 1080 का भू–स्वामी संबंधी दस्तावेज (बी–1/पी–2) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/01/2024 एवं दिनांक 11/01/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 514वीं बैठक दिनांक 14/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2. उत्खनन के संबंध में भू–स्वमियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्प्रिंकलर द्वारा जल छिडकाव की व्यवस्था स्थापित किया गया है।
4. सी.ई.आर. के अन्तर्गत किए जाने वाले वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा क्रमांक 1080 का भू–स्वामी संबंधी दस्तावेज (बी–1/पी–2) की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
5. ऊपरी मिट्‌टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 1,160 घनमीटर है, जिसका उपयोग 7.5 मीटर की सीमा पट्‌टी में वृक्षारोपण किये जाने हेतु उपयोग किया जाएगा। साथ ही ऊपरी मिट्‌टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे

जाने हेतु मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 368 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 7,360 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,01,360 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 2,10,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

19. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 15/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–पेनारी) का रकबा 0.4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स पेनारी क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री गजरूप सिंह) को ग्राम–पेनारी, तहसील–खड़गवां, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के खसरा क्रमांक 1067 में स्थित पत्थर उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.4 हेक्टेयर, क्षमता–2,230 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही यह अनुशंसा भविष्य में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उसी अनुसार प्रभावित होगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स पेनारी क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री गजरूप सिंह) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से 03 माह के भीतर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

   ii. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

vi. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज/पत्र प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी), ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2246)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 412307/2022, दिनांक 30/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 235, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 2,945.76 टन (1,227.4 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अंकित तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 235, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर, क्षमता– 1,227.4 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक

16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 110 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 102/क/खलि/न.क्र./2022 महासमुंद, दिनांक 24/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 31/12/2017 तक	निरंक
01/01/2018 से 31/12/2018 तक	99
01/01/2019 से 31/12/2019 तक	16
01/01/2020 से 31/12/2020 तक	102
01/01/2021 से 30/09/2021 तक	86
01/10/2021 से 31/03/2022 तक	60
01/04/2022 से 30/09/2022 तक	140

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलसोण्डा का दिनांक 23/11/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1586/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 06/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 383/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.06 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 383/क/खलि/न.क्रं. /2022 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज डीड का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती रत्ना तिवारी के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/12/2005 से 06/12/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/12/2015 से 06/12/2035 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/4041 महासमुंद, दिनांक 22/10/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 14 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेलसोण्डा 330 मीटर, स्कूल ग्राम–बेलसोण्डा 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 5.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 950 मीटर एवं राज्यमार्ग 11.75 दूर है। नहर 540 मीटर, तालाब 600 मीटर एवं महानदी नदी 2.1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,02,173 टन (1,25,905 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 63,656 टन (26,523 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 47,742 टन (19,892 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,25,402 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 26,020 घनमीटर शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,006.89 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,659.94 घनमीटर है, जिसमें से 703 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र में संरक्षित कर पुनःभराव हेतु उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया

जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,390.59	षष्टम	2,392.00
द्वितीय	2,391.91	सप्तम	2,382.44
तृतीय	2,396.38	अष्टम	2,380.89
चतुर्थ	2,429.35	नवम	2,371.48
पंचम	2,465.88	दशम	2,377.35

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.99 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 198 नग वृक्षारोपण प्रस्तावित है। वर्तमान में 110 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 88 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 88 नग वृक्षारोपण के लिए राशि 900 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रूपये, खाद के लिए राशि 9,900 रूपये, डस्ट सप्रेशन के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,30,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 2,25,800 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 7,59,200 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,006.89 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 268.38 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जााना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.54	2%	0.25	Following activities at, Govt. Middle School **Village- kharora**	
			Plantation around school	0.26
			Total	**0.26**

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति द्वारा सी.ई.आर. के तहत् आवेदित खदान एवं समीपस्थ अन्य खदान (ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 279, कुल क्षेत्रफल 0.54 हेक्टेयर) को समाहित करते हुए संयुक्त रूप से सी.ई. आर. के लिए प्रस्ताव राशि 54,000 रुपये का प्रस्तावित किया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग वृक्षारोपण के लिए राशि 500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,500 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 11,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 24,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 30,000 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आवेदित खदान की सहभागिता 26,000 रुपये है।

19. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

27. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

28. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 383/क/खनि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.06 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बेलसोण्डा) का क्षेत्रफल 0.54 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बेलसोण्डा) को मिलाकर कुल रकबा 3.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति

पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी) को ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 235 में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर, क्षमता – 2,465 टन प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/04/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/02/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:–

   अ) प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता को निरस्त करते हुए स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण एवं शपथ पत्र:–

   एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, MOEFCC नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व मे जारी पर्यावरण स्वीकृति का सर्टिफाईड कम्प्लायंस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है सर्टिफाईड कम्प्लायंस के संबंध में समिति के 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023 मे विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से MOEFCC नई दिल्ली से "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) In Non&Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के संबंध में MOEFCC नई दिल्ली द्वारा हमे जो भी दिशा निर्देश दिया जावेगा मैं उसका पालन करूगा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

   ब) MOEF के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F. No. IA3&22/11/2023&IA.III [E 208230] दिनांक 28/04/2023 – उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार पैरा क्रमांक 5 में बिंदु 1 से 10 तक में रिअप्रेजल के प्रकरणों मे आवश्यक / वांछित प्रपत्रों की सूची में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की जानकारी जमा कराए जाने का उल्लेख नहीं है।

   वर्तमान में SEAC/SEIAA द्वारा रिअप्रेजल के प्रकरणों में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन के स्थान पर स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा रही है। मेरे द्वारा स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन आपके समक्ष जमा किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मेरे प्रकरण में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता को निरस्त करने का अनुरोध है।

   इस हेतु मैं आपके समक्ष MOEFCC नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने के संदर्भ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त स्पष्टीकरणों को स्वीकार करते हुये प्रकरण मे पर्यावरण स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्राधिकरण की 142वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 में लिये गये निर्णय के आधार पर आवेदक – मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के पालनार्थ की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से 03 माह के भीतर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

ii. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

vi. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

2. **मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी), ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2247)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 412237/2022, दिनांक 30/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 279, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,279.28 टन (949.7 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 25/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अंकित तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 279, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर, क्षमता–949.70 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा दिनांक 16/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 15/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/01/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण 110 नग किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 103/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंत, दिनांक 24/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/01/2017 से 31/12/2017 तक	331
01/01/2018 से 31/12/2018 तक	703
01/01/2019 से 31/12/2019 तक	04
01/01/2020 से 31/12/2020 तक	73
01/01/2021 से 30/09/2021 तक	192
01/10/2021 से 31/03/2022 तक	60
01/04/2022 से 30/09/2022 तक	128

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलसोण्डा का दिनांक 09/01/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1600/क/ख.लि./न.क्र./2016 महासमुंद, दिनांक 10/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 384/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.06 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 384/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज डीड का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती रत्ना तिवारी के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/06/2006 से 13/06/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/06/2016 से 13/06/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई स्वयं की अन्य खदान (खसरा क्रमांक 235 कुल रकबा 0.6 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुंद के ज्ञापन क्रमाक/मा. चि./4041 महासमुंद, दिनांक 22/10/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 14 कि.मी. की दूरी पर होना बताया गया है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेलसोण्डा 450 मीटर, स्कूल ग्राम–बेलसोण्डा 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल महासमुंद 5.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.7 कि.मी. दूर है। नहर 650 मीटर, तालाब 690 मीटर एवं महानदी नदी 2.1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,64,840 टन (1,10,350 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 62,915 टन (26,214 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 47,186 टन (19,661 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,08,859 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 24,723 घनमीटर शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,042.89 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,539.22 घनमीटर है, जिसमें से 715 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं शेष ऊपरी मिट्टी लीज क्षेत्र में संरक्षित कर पुनःभराव हेतु उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,278.67	षष्टम	2,276.57
द्वितीय	2,277.05	सप्तम	2,279.47
तृतीय	2,279.08	अष्टम	2,279.42
चतुर्थ	2,279.32	नवम	2,277.06
पंचम	2,278.93	दशम	2,279.50

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 201 नग वृक्षारोपण प्रस्तावित है। वर्तमान में 110 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 91 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 91 नग वृक्षारोपण के लिए राशि 1,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रूपये, खाद के लिए राशि 10,050 रूपये, धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,30,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 2,26,050 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 7,24,400 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,042.89 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 175 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
11.54	2%	0.23	Following activities at, Govt. Middle School **Village- kharora**	
			Plantation around school	0.28
			Total	**0.28**

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति द्वारा सी.ई.आर. के तहत् आवेदित खदान एवं समीपस्थ अन्य खदान (ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 235, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर) को समाहित करते हुए संयुक्त रूप से सी.ई. आर. के लिए प्रस्ताव राशि 54,000 रुपये का प्रस्तावित किया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग वृक्षारोपण के लिए राशि 500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,500 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 11,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 24,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 30,000 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आवेदित खदान की सहभागिता 26,000 रुपये है।

19. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

27. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

28. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 384/क/खलि/न.क्रं./2022 महासमुंद, दिनांक 10/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.06 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बेलसोण्डा) का क्षेत्रफल 0.54 हेक्टेयर है। इस

प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बेलसोण्डा) को मिलाकर कुल रकबा 3.6 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी) को ग्राम–बेलसोण्डा, तहसील व जिला–महासमुंद के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 279 में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.54 हेक्टेयर, क्षमता – 2,279 टन प्रतिवर्ष हेतु सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/03/2023 को संपन्न 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/04/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/02/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:–

   अ) प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता को निरस्त करते हुए स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण एवं शपथ पत्र:–

   एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, MOEFCC नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व मे जारी पर्यावरण स्वीकृति का सर्टिफाईड कम्प्लायंस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है सर्टिफाईड कम्प्लायंस के संबंध में समिति के 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023 मे विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से MOEFCC नई दिल्ली से "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) In Non&Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के संबंध में MOEFCC नई दिल्ली द्वारा हमे जो भी दिशा निर्देश दिया जावेगा मैं उसका पालन करूगा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

   ब) MOEF के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F. No. IA3&22/11/2023&IA.III [E 208230] दिनांक 28/04/2023 – उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार पैरा क्रमांक 5 में बिंदु 1 से 10 तक में रिअप्रेजल के प्रकरणों मे आवश्यक / वांछित प्रपत्रों की सूची में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की जानकारी जमा कराए जाने का उल्लेख नहीं है।

   वर्तमान में SEAC/SEIAA द्वारा रिअप्रेजल के प्रकरणों में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन के स्थान पर स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा रही है। मेरे द्वारा स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन आपके

समक्ष जमा किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मेरे प्रकरण में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता को निरस्त करने का अनुरोध है।

इस हेतु मैं आपके समक्ष MOEFCC नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने के संदर्भ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त स्पष्टीकरणों को स्वीकार करते हुये प्रकरण मे पर्यावरण स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. प्राधिकरण की 142वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 में लिये गये निर्णय के आधार पर आवेदक – मेसर्स बेलसोण्डा फर्शी पत्थर क्वारी (प्रो.– श्रीमती रत्ना तिवारी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गयाः–

   i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तो के पालनार्थ की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से 03 माह के भीतर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

   ii. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   v. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

   vi. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. **मेसर्स चुनकट्टा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री विकास अग्रवाल), ग्राम–चुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1851)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69883/2021, दिनांक 18/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/एमआईएन/432373/2023, दिनांक 08/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 37(पार्ट), 39(पार्ट), 42(पार्ट), 43(पार्ट), 44(पार्ट), 45(पार्ट), 46(पार्ट), 47(पार्ट), 48(पार्ट), 49(पार्ट), 50(पार्ट) एवं 51(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–3.08 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–56,250 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/04/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चुनकट्टा का दिनांक 01/10/2021 को प्रस्ताव पारित किया गया एवं दिनांक 10/10/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4816/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2020(2) नवा रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1148/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 25 खदानें, क्षेत्रफल 41.488 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित

खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 2 खदान हेतु नवीन आशय पत्र जारी किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3.7 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1148/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री विकास अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 155/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 22/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक वैध थी। तत्पश्चात् एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 60/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 09/11/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 37, 44 एवं 48 श्री अमित कुमार तथा श्री अम्बर कुमार, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 39, 43 एवं 47 श्रीमती मीरा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 42 एवं 46 श्री भोला शंकर अग्रवाल, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 45 श्रीमती मोहनी देवी मिश्रा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 50 श्री तुलसी राम मिश्रा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 51 श्री शम्भु दयाल मिश्रा के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4816 दुर्ग, दिनांक 19/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–चुनकट्टा 250 मीटर स्कूल ग्राम–चुनकट्टा 250 मीटर एवं अस्पताल सेलूद 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 900 मीटर दूर है। तालाब 210 मीटर, खारून नदी 19 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 15,25,772 टन, माईनेबल रिजर्व 6,01,822 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 5,41,640 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,566 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 5,344 घनमीटर है, जिसमें से 2,042 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा, 952 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को हरित पट्टी के उत्खनित भाग के पुनः भराव में उपयोग किया जाएगा एवं शेष 2,350 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 6,570 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र में संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	54,970
द्वितीय	56,250
तृतीय	56,250
चतुर्थ	56,250
पंचम	56,250

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,113 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित हैः–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (1,113 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	84,588	8,436	8,436	8,436	8,436
	फेंसिंग हेतु राशि	2,22,900	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	8,400	840	840	840	840
	सिंचाई हेतु राशि	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
	रख–रखाव हेतु राशि	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
कुल राशि = 14,32,992		**5,31,888**	**2,25,276**	**2,25,276**	**2,25,276**	**2,25,276**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,566 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 476 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना

पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

साथ ही समिति का यह भी मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनःभराव हेतु रिस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** — लीज क्षेत्र में 6,534 वर्गमीटर क्षेत्र को आबादी क्षेत्र होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः—**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** — मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः—**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	26.28	43.58	60
PM_{10}	47.2	66.5	100
SO_2	9.08	14.63	80
NO_2	11.33	20.24	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः—** ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः—**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	49.54	61.23	75
Night L_{eq}	40.07	52.41	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1,830 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.122 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 192 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 2,022 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2023, अपरान्ह 12:00 बजे, स्थान – आदिवासी सामुदायिक भवन, ग्राम–चुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान से बस्ती लगा हुआ है एवं बस्ती का आंगनबाड़ी कुछ दूरी पर है।

ii. खदानों से डस्ट उत्सर्जन होता है।

iii. खदान से बस्ती लगे होने के कारण ब्लास्टिंग से अत्यधिक परेशानी होती है।

iv. स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. लीज के पास जो आंगनबाड़ी है, ग्राम पंचायत जैसे ही जमीन देगी खदान के चालू होने के पूर्व हम आंगनबाड़ी के लिए नये बिल्डिंग का निर्माण करायेंगे।

ii. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रथम वर्ष में ही फेंसिग कराकर वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही कच्ची सड़क पर जल छिड़काव किया जाएगा।

iii. ब्लास्टिंग का कार्य अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक द्वारा निम्न स्तर पर दिन में एक बार की जाएगी। साथ ही ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर द्वारा सूचित किया जाएगा।

iv. खदान में काम करने के लिए स्थानीय रहवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 28 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग (10 कि.मी.) के दोनों तरफ (6,667 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	5,06,692	50,616	50,616	50,616	50,616
	ट्री–गार्ड हेतु राशि	61,33,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	50,010	5,010	5,010	5,010	5,010
	सिंचाई हेतु राशि	12,00,000	12,00,000	12,00,000	12,00,000	12,00,000
	रख–रखाव हेतु राशि	9,60,000	9,60,000	9,60,000	9,60,000	9,60,000
कुल राशि = 1,77,12,806		**88,50,302**	**22,15,626**	**22,15,626**	**22,15,626**	**22,15,626**

22. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के अंतर्गत प्रस्तुत वृक्षारोपण की गणना में त्रुटि है। अतः समिति का मत है कि कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के अंतर्गत प्रस्तुत वृक्षारोपण की गणना में त्रुटि सुधार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

23. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
66	2%	1.32	Following activities at nearby, **Village-Chunkatta**	
			Pavitra Van Nirman	12.19
			Total	**12.19**

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास, बड़, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 226 नग पौधों के लिए राशि 17,176 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,02,800 रूपये, खाद के लिए राशि 1,710 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,26,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,47,686 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,71,712 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत चुनकट्टा द्वारा श्री विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल–3.08 हेक्टेयर एवं श्री विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल–1.86 हेक्टेयर, को सी.ई.आर. के अंतर्गत संयुक्त पवित्र वन निर्माण हेतु खसरा क्रमांक 404 के क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर में सहमति प्रदान की गई है।

25. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

26. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यो हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

27. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

28. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक नवीन खदान है, जो पूर्व से ही उत्खनित है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

29. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त आश्वासन पुरे किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यो की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. परियोजना प्रस्तादक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

39. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

41. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

42. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

43. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

44. पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और किसी भी अन्य न्यायालय के आदेश/निर्णय के अधीन है, सामान्य कारण की शर्तें जो लागू हो सकती हैं, सभी शर्तो का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

45. We will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.

46. We will comply. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2d August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

47. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply the mitigation measures provided in MOEF&CC OM No. Z- 11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations- Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred. Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the

para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

49. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1148/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 25 खदानें, क्षेत्रफल 41.488 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 2 खदान हेतु नवीन आशय पत्र जारी किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3.7 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–चुनकट्टा) का क्षेत्रफल 3.08 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–चुनकट्टा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 48.268 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स चुनकट्टा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री विकास अग्रवाल) को ग्राम–चुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 37(पार्ट), 39(पार्ट), 42(पार्ट), 43(पार्ट), 44(पार्ट), 45(पार्ट), 46(पार्ट), 47(पार्ट), 48(पार्ट), 49(पार्ट), 50(पार्ट) एवं 51(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.08 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–56,250 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/10/2023 को संपन्न 157वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. लोक सुनवाई के दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि आंगनबाड़ी भवन लीज क्षेत्र के समीप है। अतः आंगनबाड़ी भवन अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित कराकर सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/11/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/11/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/01/2024 को संपन्न 163वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. आंगनबाड़ी भवन अन्यत्र स्थान खसरा क्रमांक 179 पर स्थानांतरित कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं के व्यय से भवन निर्माण करने हेतु ग्राम पंचायत चुनकट्टा का दिनांक 30/09/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि:–

- मेरे द्वारा ग्राम चुनकट्टा के आँगनबाड़ी क्रमांक–1 को स्वयं के खर्च से ग्राम मे अन्य जगह बनाने की सहमति दी गयी है। जिस हेतु ग्राम पंचायत मे सहमति पश्चात भूमि प्रदान करने पर मेरे द्वारा आँगनबड़ी निर्माण का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है।
- मेरे द्वारा खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आँगनबाड़ी निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

2. उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनःभराव कर रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आँगनबाड़ी निर्माण हेतु स्थल का सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/03/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/03/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आँगनबाड़ी निर्माण हेतु स्थल का सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैः–

ग्राम के शासकीय भूमि खसरा नं. 179 पर स्वयं के व्यय से आंगनबाड़ी निर्माण कार्य हेतु पंचायत द्वारा अनापत्ति पत्र दिया गया है। जिस पर आंगनबाड़ी निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो गुणवत्ता पूर्ण है एवं ग्राम पंचायत चुनकट्टा इस नवीन निर्माण कार्य से पूर्णतः संतुष्ट है। ग्राम का प्राथमिक प्राधिकृत अधिकारी सरपंच, ग्राम पंचायत चुनकट्टा एवं ग्राम पंचायत सचिव से पुष्टि कराकर प्रमाण पत्र समय समय पर लिया जा रहा है जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है तथा आँगनबाड़ी निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स चुनकट्टा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री विकास अग्रवाल) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गयाः–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यो की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

vii. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. **मेसर्स चुनकट्टा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री विकास अग्रवाल), ग्राम–चुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1850)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69880/2021, दिनांक 07/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/432364/2023, दिनांक 08/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 49, 50, 51, 52 एवं 53/1, कुल क्षेत्रफल–1.86 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–19,950 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/04/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चुनकट्टा का दिनांक 01/10/2021 को प्रस्ताव पारित किया गया एवं दिनांक 10/10/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4818/खनि 02/मा.प्ला. अनुमोदन/न.क्र.06/2020(2), नवा रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1146/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 25 खदानें, क्षेत्रफल 41.488 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 2 खदानों को आशय पत्र जारी किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 4.92 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1146/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** एल.ओ.आई. श्री विकास अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 152/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 22/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 61/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 09/11/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह**

निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 49 श्री प्रभात शंकर अग्रवाल, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 50 श्री तुलसी राम मिश्रा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 51 श्री शम्भु दयाल मिश्रा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 52 हरी शंकर मिश्रा एवं पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 53/1 श्री अमीत कुमार सिंघल तथा श्री अम्बर कुमार सिंघल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4817 दुर्ग, दिनांक 03/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–चुनकट्टा 400 मीटर, स्कूल ग्राम–चुनकट्टा 400 मीटर एवं अस्पताल सेलूद 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। तालाब 260 मीटर एवं खारून नदी 19 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,94,355 टन, माईनेबल रिजर्व 1,68,770 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,51,893 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,124 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 2,668 घनमीटर है जिसमें से 1,275 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 1,393 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र में संरक्षित कर रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	19,950

द्वितीय	19,950
तृतीय	19,950
चतुर्थ	20,040
पंचम	19,950

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.68 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 822 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		**प्रथम (रूपये)**	**द्वितीय (रूपये)**	**तृतीय (रूपये)**	**चतुर्थ (रूपये)**	**पंचम (रूपये)**
खदान के बाउण्ड्री में (822 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण हेतु राशि	79,932	6,232	6,232	6,232	6,232
	फेंसिंग हेतु राशि	1,77,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	6,180	630	630	630	630
	सिंचाई हेतु राशि	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
	रख–रखाव हेतु राशि	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
कुल राशि = 13,71,160		**4,79,712**	**2,22,862**	**2,22,862**	**2,22,862**	**2,22,862**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,124 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 720 वर्गमीटर क्षेत्र 10.5 मीटर की गहराई तक एवं 424 वर्गमीटर क्षेत्र 7.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लधंन है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

साथ ही समिति का यह भी मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनःभराव हेतु रिस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 1,780 वर्गमीटर क्षेत्र को पूर्ण रूप से प्रस्तावित अधिकतम गहराई तक गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है तथा 953 वर्गमीटर क्षेत्र को 10.5 मीटर की गहराई, 924 वर्गमीटर क्षेत्र का 16.5 मीटर की गहराई, 379 वर्गमीटर क्षेत्र को 7.5 मीटर की गहराई एवं 3,372 वर्गमीटर क्षेत्र को 15 मीटर की गहराई तक उत्खनित करने के पश्चात् गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	26.28	43.58	60
PM_{10}	47.2	66.5	100
SO_2	9.08	14.63	80
NO_2	11.33	20.24	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	49.54	61.23	75
Night L_{eq}	40.07	52.41	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1,830 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.122 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 192 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 2,022 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2023, अपरान्ह 12:00 बजे, स्थान – आदिवासी सामुदायिक भवन, ग्राम–चुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई।

लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**
    i. खदान से बस्ती लगा हुआ है एवं बस्ती का आंगनबाड़ी कुछ दूरी पर है।
    ii. खदानों से डस्ट उत्सर्जन होता है।
    iii. खदान से बस्ती लगे होने के कारण ब्लास्टिंग से अत्यधिक परेशानी होती है।
    iv. स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना चाहिए।

    लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–
    i. लीज के पास जो आंगनबाड़ी है, ग्राम पंचायत जैसे ही जमीन देगी, खदान के चालू होने के पूर्व हम आंगनबाड़ी के लिए नये बिल्डिंग का निर्माण करायेंगे।
    ii. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रथम वर्ष में ही फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही कच्ची सड़क पर जल छिड़काव किया जाएगा।
    iii. ब्लास्टिंग का कार्य अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक द्वारा निम्न स्तर पर दिन में एक बार की जाएगी। साथ ही ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर द्वारा सूचित किया जाएगा।
    iv. खदान में काम करने के लिए स्थानीय रहवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 28 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग (10 कि.मी.) के दोनों तरफ (6,667 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	5,06,692	50,616	50,616	50,616	50,616
	ट्री–गार्ड हेतु राशि	61,33,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	50,010	5,010	5,010	5,010	5,010
	सिंचाई हेतु राशि	12,00,000	12,00,000	12,00,000	12,00,000	12,00,000
	रख–रखाव हेतु राशि	9,60,000	9,60,000	9,60,000	9,60,000	9,60,000
कुल राशि = 1,77,12,806		88,50,302	22,15,626	22,15,626	22,15,626	22,15,626

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग (348 मीटर) के दोनों तरफ (232 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	17,632	1,748	1,748	1,748	1,748
	ट्री–गार्ड हेतु राशि	2,15,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	1,740	180	180	180	180
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	74,973	74,973	74,973	74,973	74,973
कुल राशि = 6,17,549		3,09,945	76,901	76,901	76,901	76,901

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
66	2%	1.32	Following activities at nearby, Village-Chunkatta	
			Pavitra Van Nirman	12.19
			Total	**12.19**

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास, बड़, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 226 नग पौधों के लिए राशि 17,176 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,02,800 रूपये, खाद के लिए राशि 1,710 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,26,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,47,686 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,71,712 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत चुनकट्टा द्वारा श्री विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल 3.08 हेक्टेयर एवं श्री विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल 1.86 हेक्टेयर, को सी.ई.आर. के अंतर्गत पवित्र वन निर्माण हेतु खसरा क्रमांक 404 के क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर में सहमति प्रदान की गई है।

24. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

25. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

26. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

27. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक नवीन खदान है, जो पूर्व से ही उत्खनित है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

29. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त आश्वासन पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट के तहत् तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

39. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

41. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

42. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

43. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

44. पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और किसी भी अन्य न्यायालय के आदेश/निर्णय के अधीन है, सामान्य कारण की शर्तें जो लागू हो सकती हैं, सभी शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

45. परियोजना प्रस्तावक द्वारा We will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations. बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

46. परियोजना प्रस्तावक द्वारा We will comply. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2d August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others. बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

47. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply the mitigation measures provided in MOEF&CC OM No. Z- 11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations- Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred. Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the

para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

49. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1146/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 25 खदानें, क्षेत्रफल 41.488 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 2 खदानों को आशय पत्र जारी किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 4.92 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–चुनकट्टा) का क्षेत्रफल 1.86 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–चुनकट्टा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 48.268 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स चुनकट्टा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री विकास अग्रवाल) को ग्राम–चुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 49, 50, 51, 52 एवं 53/1 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.86 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–19,950 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 18/10/2023 को संपन्न 157वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. लोक सुनवाई के दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि आंगनबाड़ी भवन लीज क्षेत्र के समीप है। अतः आंगनबाड़ी भवन अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित कराकर सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/11/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 24/01/2024 को संपन्न 163वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. आंगनबाड़ी भवन अन्यत्र स्थान खसरा क्रमांक 179 पर स्थानांतरित कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं के व्यय से भवन निर्माण करने हेतु ग्राम पंचायत चुनकट्टा का दिनांक 30/09/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि:–
    - मेरे द्वारा ग्राम चुनकट्टा के आँगनबाड़ी क्रमांक–1 को स्वयं के खर्च से ग्राम मे अन्य जगह बनाने की सहमति दी गयी है। जिस हेतु ग्राम पंचायत मे

सहमति पश्चात भूमि प्रदान करने पर मेरे द्वारा आँगनबड़ी निर्माण का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है।

- मेरे द्वारा खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आँगनबाड़ी निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

2. उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनःभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आँगनबाड़ी निर्माण हेतु स्थल का सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/03/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/03/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आँगनबाड़ी निर्माण हेतु स्थल का सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:–

ग्राम के शासकीय भूमि खसरा नं. 179 पर स्वयं के व्यय से आंगनबाड़ी निर्माण कार्य हेतु पंचायत द्वारा अनापत्ति पत्र दिया गया है। जिस पर आंगनबाड़ी निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो गुणवत्ता पूर्ण है एवं ग्राम पंचायत चुनकट्टा इस नवीन निर्माण कार्य से पूर्णतः संतुष्ट है। ग्राम का प्राथमिक प्राधिकृत अधिकारी सरपंच, ग्राम पंचायत चुनकट्टा एवं ग्राम पंचायत सचिव से पुष्टि कराकर प्रमाण पत्र समय समय पर लिया जा रहा है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है तथा आँगनबाड़ी निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स चुनकट्टा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री विकास अग्रवाल) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण' किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्व्हारोंमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

vii. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

5. **मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती अरूणा जोगेवार), ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1274)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 127754/ 2019, दिनांक 25/03/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 72067/ 2020, दिनांक 04/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक – 252, कुल क्षेत्रफल–0.85 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 10,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/12/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 413वीं बैठक दिनांक 29/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र जोगेवार, अधिकृत प्रतिनिधि एवं मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 252, कुल क्षेत्रफल – 0.85 हेक्टेयर, क्षमता – 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 02/05/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4358/ख.लि.02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 06/11/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2008–09	1,690	2014–15	निरंक
2009–10	1,920	2015–16	
2010–11	2,450	2016–17	
2011–12	1,895	2017–18	3,500

2012–13	3,550	2018–19	2,900
2013–14	400	2019–20	2,600

v. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/11/2020 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार उत्खनन कार्य किया गया है। जिससे समिति सहमत हुई।

vi. इस संबंध में समिति का मत है कि मार्च 2020 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्देवपुर का दिनांक 27/12/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलॉग विथ इन्व्हायरोमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2017/3534 रायपुर, दिनांक 07/03/2017 द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि टी.ओ.आर. के दौरान संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान**– कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/4268/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 31/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 6.357 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1661/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 06/07/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट,

अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती अरूणा जोगेवार के नाम पर थी। लीज डीड 3 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/11/1992 से 19/11/1995 तक की अवधि हेतु थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 20/11/1995 से 19/11/1998 तक की अवधि हेतु, द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 20/11/1998 से 19/11/2008 तक की अवधि हेतु एवं तृतीय नवीनीकरण दिनांक 20/11/2008 से 19/11/2013 तक की अवधि हेतु किया गया था। तत्पश्चात् लीज डीड में 9 वर्षों की दिनांक 20/11/2013 से 19/11/2022 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र.25/2256 खैरागढ़, दिनांक 01/07/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 4.05 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कलकसा 900 मीटर, स्कूल ग्राम–बल्देवपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल खैरागढ़ 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.2 कि.मी. दूर है। अमनेर नदी 4.8 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,55,000 टन, माईनेबल रिजर्व 87,180 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 53,460 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,079 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर थी, जिसे पूर्व में ही उत्खनित कर लिया गया है। वर्तमान में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार वास्तविक उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2017–18	10,000	3,500
2018–19	10,000	2,900
2019–20	10,000	2,600

2020–21	10,000	7,100
2021–22 (दिनांक 31/12/2021)	10,000	2,900

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,000
द्वितीय	10,000
तृतीय	10,000
चतुर्थ	10,000
पंचम	10,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	76,000	7,600	7,600	7,600	7,600
	फेंसिंग हेतु राशि	1,26,900	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	7,500	750	750	750	750
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	2,46,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राषि = 13,53,800		**4,56,400**	**2,24,350**	**2,24,350**	**2,24,350**	**2,24,350**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,079 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पूर्वी दिशा में 412.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक, पष्चिमी दिषा में 1,125 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक, उत्तरी दिशा में 990 वर्गमीटर क्षेत्र 8 मीटर की गहराई तक एवं दक्षिणी दिशा में 240 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 80,100/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/06/2022 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 80,100/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आव"यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आव"यक है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	25.32	44.77	60
PM_{10}	47.22	67.15	100
SO_2	7.24	14.68	80
NO_2	11.31	20.33	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.89	54.87	75
Night L_{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान

में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 54 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भवन कलकसा, ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामूहिक रुप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

   i. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। लीज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारो तरफ तार कांटो का घेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5–7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

   ii. हैवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़ें के खेत में चले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सुचना नही दी जाती हैं, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।

   iii. खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतो में पानी नही पहुँच पाता। गांव में सिचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।

   iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

   लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

   i. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारो ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को चारो तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।

ii. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगो को सुचना दी जाएगी।

iii. हमारे द्वारा नालियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामिणों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 14 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
3.7 कि.मी. पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (2,467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,98,292	18,772	18,772	18,772	18,772
	फेंसिंग हेतु राशि	19,73,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	18,600	1,860	1,860	1,860	1,860
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	13,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000
कुल राशि = 70,93,020		**35,54,492**	**8,84,632**	**8,84,632**	**8,84,632**	**8,84,632**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
227 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (151 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	11,476	1,140	1,140	1,140	1,140
	फेंसिंग हेतु राशि	1,20,800	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	1,200	120	120	120	120
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	83,081	53,081	53,081	53,081	53,081
कुल राशि = 4,33,921		**2,16,557**	**54,341**	**54,341**	**54,341**	**54,341**

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at nearby, Village-Kalkasa	
			Pavitra Van Nirman	10.14
			Total	**10.14**

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 768 नग पौधों के लिए राशि 27,648 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,49,648 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,488 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कलकसा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 153, क्षेत्रफल 0.48 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

24. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि वर्तमान में प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें होना बताया गया है जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें क्लस्टर में आती है। अतः समिति का मत है कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. मार्च 2020 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. टी.ओ.आर. के दौरान संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव कार्य में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
7. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
9. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यो हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
11. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत "खदान के खुलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके है। जिस कारण खेतो में पानी नही पहुँच पाता। गांव में सिचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध का पानी नहीं रूकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो टूट चुका है। दोनों बांध में पानी

है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।" यह शिकायत अत्यंत गंभीर प्रकृति की है। जिसका समाधान कारक उत्तर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं दिया गया है। अतः इस संबंध में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 20/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई के ज्ञापन क्रमांक /4/ख.लि.02/2022, दिनांक 13/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2020–21	8,400
2021–22	10,000

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 को समाप्त होने के उपरांत भी उत्खनन किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 को समाप्त होने के पश्चात् भी उत्खनन का कार्य किया गया है। अतः उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Morever, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु स्टैण्डर्ड ऑफ प्रोसिजर (SOP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:–

i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
   a) Damage Assessment

b) Remedial Plan and
c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/UnionTerritory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.

ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

iii. The project proponent will be required to submit a bank guarentee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Central / the State Pollution Control Board (depending on whether it is appraised at Ministry or by SEIAA). The quantification of such liability will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority. The bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan.

iv. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. मॉडिफाईड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित मॉडिफाईड क्वारी प्लान में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित मॉडिफाईड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1574/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 17/08/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 13.321 हेक्टेयर है।

5. ऊपरी मिट्टी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह पूर्व से संचालित खदान है, लीज क्षेत्र के भीतर वर्तमान में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। पूर्व में उत्खनित ऊपरी मिट्टी का उपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जा चुका है।

6. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. पूर्व में किये गए वृक्षारोपण की फोटोग्राफ्स प्रस्तुत की गई है। पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे का नामकरण नहीं किया गया है साथ ही इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खदान प्रारंभ होने उपरांत पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे का नामकरण कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाएगा।

8. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

10. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत के संबंध में ग्राम पंचायत कलकसा द्वारा जारी पत्र अनुसार गांव एवं बांध खदान से 500 मीटर की दूरी पर है एवं नहर नाली का संधारण बरसात के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। गांव में बांध किसी खदान पर प्रवेश नहीं करती है। जनसुनवाई के दौरान यह शिकायत दुर्भावनावश की गई है। साथ ही ग्राम पंचायत कलकसा द्वारा जारी पत्र अनुसार भू–जल स्तर की गहराई 150 से 200 फीट के उपरांत है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में जल संसाधन विभाग से निरीक्षण कराने हेतु लेख किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. मॉडिफाईड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए, जिससे कि खदान का प्रश्नाधीन अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित किया जा सके।

6. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत के संबंध में ग्राम पंचायत कलकसा द्वारा जारी पत्र अनुसार गांव एवं बांध खदान से 500 मीटर की दूरी पर है एवं नहर नाली का संधारण बरसात के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। गांव में बांध किसी खदान पर प्रवेश नहीं करती है। जनसुनवाई के दौरान यह शिकायत दुर्भावनावश की गई है। समिति का मत है कि उक्त के संदर्भ में जल संसाधन विभाग से निरीक्षण कराकर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने हेतु लेख किया जाए।

7. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(स) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

समिति द्वारा बैठक दिनांक 28/11/2022 को क्लस्टर के प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उन्हें पूर्व में निर्देशित जानकारी/दस्तावेज एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ कार्यालय में प्रस्तुत करने पर विचार कर, उन्हें निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

2. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 में लिये गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 5, 6, 7 एवं 8 के संबंध में उपयुक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः मंगाया जाना आवश्यक है।

10. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

11. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1574/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 17/08/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 13 खदानें, क्षेत्रफल 13.321 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कलकसा) का क्षेत्रफल 0.85 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कलकसा) को मिलाकर कुल खदानों का क्षेत्रफल 14.171 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 में लिये गये निर्णय के बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3, 5, 6, 7 एवं 8 के संबंध में उपयुक्त जानकारी/दस्तावेज एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती अरूणा जोगेवार) को ग्राम–कलकसा, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 252 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.85 हेक्टेयर, क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/01/2023 को संपन्न 137वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स कलकसा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती अरूणा जोगेवार) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तो के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 425वीं बैठक दिनांक 21/09/2022 के परिपेक्ष्य में चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत एवं नियमानुसार जानकारी/दस्तावेज पूर्ण होने की स्थिति में ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT) and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

4. The Project Proponent shall comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.

5. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

6. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC OM No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations-Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area.

7. The Project Proponent shall inform to MoEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred, Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time.

This Environmental Clearance shall be effective from the date of submission of requisite documents as prescribed/recommended by SEAC for this project.

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/03/2023 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/04/2023 को संपन्न 145वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण है। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2023 के माध्यम से चाही गई जानकारी के संबंध में समाधानाकारक कार्यवाही करते हुए पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/05/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/03/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 2117, दिनांक 25/10/2023 से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

2. मॉडिफाइड क्वारी प्लान (क्वारी कम इन्व्हायरोन्मेंट मेनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा

रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 3567/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 05/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 24/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।

3. Damage Assessment Plan, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan को शामिल करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environment Compensation) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने की आवश्यकता के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि जुलाई 2020 के उपरांत कोई भी उत्पादन कार्य नहीं किया गया है। इस बाबत् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई के ज्ञापन क्रमांक 321/खलि–02/2024, खैरागढ, दिनांक 13/03/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
जनवरी–फरवरी, 2020	निरंक
मार्च, 2020	1,300
अप्रैल, 2020	2,540
मई, 2020	1,610
जून, 2020	2,000
जुलाई–दिसम्बर, 2020	निरंक
जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक	निरंक

4. प्राधिकरण द्वारा पाया गया कि:–

(1) पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई के ज्ञापन क्रमांक/4/ख.लि.02/2022, दिनांक 13/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी अनुसार जुलाई 2020 से मार्च 2021 में 4,400 टन एवं 2021–22 में 10,000 टन उत्खनन कार्य किया गया है।

(2) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई के ज्ञापन क्रमांक/25/ख.लि.02/2022, दिनांक 28/11/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी अनुसार जुलाई 2020 से मार्च 2021 में 2,900 टन एवं वर्ष 2021–22 में 10,000 टन उत्खनन कार्य किया गया है।

साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक की अवधि का खदान का प्रस्तुत आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति अनुसार जुलाई 2020 से मार्च 2021 में 2,900 टन एवं वर्ष 2021–22 में 10,000 टन उत्खनन कार्य किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जुलाई 2020 से मार्च 2021 एवं वर्ष 2021–22 में बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन कार्य किया गया है।

प्राधिकरण का मत है कि उपरोक्त खनिज विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्रों यथा दिनांक 13/09/2022, 28/11/2022 एवं 13/03/2024 में भिन्न–भिन्न आंकड़ें दर्शाये गये है। इस संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराते हुये कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई से जानकारी/स्पष्टीकरण मंगाये जाने बाबत् पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

5. दिनांक 01/07/2020 से दिनांक 31/03/2022 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान का आडिटेड बैलेंश शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

6. जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत के संबंध में ग्राम पंचायत कलकसा द्वारा जारी पत्र अनुसार गांव एवं बांध खदान से 500 मीटर की दूरी पर है एवं नहर नाली का संधारण बरसात के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। गांव में बांध किसी खदान पर प्रवेश नहीं करती है। इस संबंध में ग्राम पंचायत कलकसा द्वारा जनसुनवाई के दौरान यह शिकायत दुर्भावनावश की गई है, का लेख किया गया है।

7. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन के संबंध में खनिज विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्रों यथा दिनांक 13/09/2022, 28/11/2022 एवं 13/03/2024 में भिन्न–भिन्न आंकड़ें दर्शाये गये है। इस संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराते हुये कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई से जानकारी/स्पष्टीकरण मंगाये जाने बाबत् पत्र लेख किया जाए।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई को पत्र लेख किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स पिताम्बरा लॉजिस्टिक एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड (कलवर ऑयरन ओर ब्लॉक), ग्राम–कलवर, तहसील–दुर्गूकोंदल, जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2526)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 434123/2023, दिनांक 21/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/04/2024 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कलवर, तहसील–दुर्गूकोंदल, जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 29, 30, 31, 32, 39/1, 39/3, 40/1 एवं 40/2, कुल क्षेत्रफल–23.72 हेक्टेयर में

प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–70,000.88 टन प्रतिवर्ष है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 75 लाख होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3090, दिनांक 22/02/2024 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/04/2024 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

जारी किये गये टी.ओ.आर. पत्र कमाक 3090/एस.ई.ए.सी., छ.ग./माईन/2526 दिनांक 22/02/2024 में प्राधिकरण के द्वारा वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर नॉन माईनिंग एरिया छोड़कर माईनिंग प्लान को रिवाईस करने का निर्देश देते हुए टी.ओ.आर. जारी किया गया है। जब कि खनन परियोजनाओं के संदर्भ में वन क्षेत्र से दूरी के विषय में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:–

(1) संदर्भित प्रत्र क्र. 1 मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के द्वारा वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के नियंत्रण की दृष्टि से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये थे–

1. क्रमांक 147/99/10–3 दिनांक 12.01.2000 –

क) प्रत्येक जिलाध्यक्ष द्वारा खदान की स्वीकृति जारी करने के पूर्व संबंधित क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारी से खदान क्षेत्र का मौका निरीक्षण के आधार पर जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

ख) वन मण्डलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र वन भूमि नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

2. पत्र क्र. एक 5/16/01/10–3 भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2002 एवं एफ 5/16/61/10–3 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2008 – एक रूपता लाने की दृष्टि से उक्त प्रपत्रों के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि **"यदि प्रस्तावित क्षेत्र वन क्षेत्र में नहीं है तथा वन क्षेत्र न होने के बाद भी वन क्षेत्र के सीमा के 250 मीटर की दूरी के भीतर नहीं है, उसी स्थिति में क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगे।"**

संदर्भित पत्र क्र. 2 अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर के द्वारा निर्देशित किया गया कि–

"वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के नियंत्रण करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 2002 एवं मध्य प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 27 अगस्त 2008 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र जारी किये गये थे।

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित निर्देशों का संज्ञान नहीं लिया जाये का लेख करते हुये निर्देशित किये गये है।"

अतः छत्तीसगढ़ राज्य में खनन हेतु आवेदित क्षेत्र से वन की दूरी 250 मीटर या अधिक होना चाहिए का औचित्य समाप्त हो चुका है। महोदय वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के द्वारा खनिज उत्खनन हेतु वन क्षेत्र से कितनी दूरी पर अनापत्ति

प्रमाण पत्र जारी किया जावे या वन क्षेत्र से कितनी दूरी तक खनन प्रतिबंधित होगा का दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये है। अतः पट्टेदार आवेदक को वन भूमि के बाहर निजी राजस्व भूमि पर खनन के लिए वन मण्डलाधिकारी से मात्र अनापत्ति प्रमाण पत्र ही पर्याप्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

अतः उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुये एवं आवेदित भूमि वन क्षेत्र से बाहर होने की स्थिति में आयरन ओर पट्टा स्वीकृति करने हेतु कार्यालय वन मण्डलाधिकारी के द्वारा अनापत्ति दी गई है।

(ii) परियोजना के समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के आधार पर समिति के द्वारा उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए टी.ओ.आर जारी किये जाने हेतु रिकमंडेशन किया गया एवं इसी आधार पर समिति के द्वारा वन क्षेत्र से 250 मीटर दूरी छोड़ते हुए माईनिंग प्लान के संशोधन की शर्त नहीं जोड़ी गई।

(iii) वन क्षेत्र से 250 मीटर दूरी छोड़ते हुए माईनिंग प्लान के संशोधन की स्थिति में आवेदित क्षेत्र का लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र गैर माईनिंग क्षेत्र में चला जायेगा एवं परियोजना का संचालन अप्रायोगिक एवं वाणिज्यिक दृष्टिकोण से व्यर्थ हो जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 12/04/2024 को संपन्न 171वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वनों के संरक्षण हेतु वन क्षेत्र की सीमा से खदान की न्यूनतम दूरी के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए। छत्तीसगढ़ शासन से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरूण प्रसाद पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़